

साक्षी को आह्वान (सम्मंस)

(व्यवहार (सिविल) प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16 के नियम 1 व 5 देखें)

न्यायालय

श्री रा.उ. न्या. से/रा. न्या. से द्वारा अध्यासित (प्रिजाइडेड)

वादी/याची/प्रार्थी प्रतिवादी/अयाची/अप्रार्थी/प्रतिपक्षी

विरुद्ध

प्रकरण संख्या

प्रकरण विषय

प्रेषित,

श्री आ./ध.प.श्री

जाति

पता

अतः उपर्युक्त प्रकरण में

की ओर से

★ के लिए आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। अतः एतद् द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक को पूर्वान्ह बजे इस न्यायालय

आए या इस न्यायालय में भेजे।

आपकी यात्रा तथा अन्य व्यय एवम् एक दिवस के निर्वाह भत्ते के रूप में रुपये की राशि इसके साथ भेजी जा रही है। यदि आप इस आदेश का पालन करने में, बिना किसी विधिसंगत प्रतिहेतु (एक्सयूज) के असफल रहेंगे तो आपकी अनुपस्थिति के वे परिणाम भोगने होंगे जो व्यवहार (सिविल) प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16 के नियम 12 में निर्धारित (लेड डाउन) है।

यह आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ दिया गया।

न्यायालय की
मुद्रा

पक्षकार/अधिवक्ता
के लघु हस्ताक्षर

न्यायाधीश
की पद-मुद्रा

★ यहाँ स्पष्ट करें कि साक्षी को साक्ष्य हेतु अथवा केवल लेख्य प्रस्तुत करने हेतु आहुत किया गया है :

- सूचनाएँ:-
1. यदि आप कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए हो, न कि साक्ष्य देने हेतु आहुत (सम्मण्ड) किये गये हैं तो यदि आप उक्त लेख्य पूर्व लिखित दिनांक व समय पर न्यायालय में प्रस्तुत करवा देते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपने उक्त आह्वान का पालन कर लिया है।
 2. यदि आप पूर्वलिखित दिवस के आगे भी विरुद्ध (डिटेण्ड) किये जाते हैं तो आपको उल्लिखित दिवस के आगे प्रत्येक दिवस की उपस्थिति के लिए राशि रु. निवेदन (टेण्डर) किये जाएंगे।

आदेशिका तामिलकर्ता का शपथ पत्र

(आदेश 5 का नियम 18)

के पुत्र

का शपथ पत्र

मैं शपथ लेता हूँ कि प्रतिज्ञात करता हूँ और
यह कथन करता हूँ कि

1. मैं इस न्यायालय का एक आदेशिका तामिलकर्ता हूँ।
2. के न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय के
के संख्याक वाले वाद में निकाला गया/निकाली गई तारीख.....
का समन/की सूचना पर तामिल के लिए मुझे तारीख..... को प्राप्त हुआ/हुई थी।
3. उक्त को मैं उस समय वैयक्तिक रूप से जानता था और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल
उस पर तारीख..... को लगभग..... बजे.....
पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उनके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके की थी
(क) यहां यह लिखिये कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से
इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

4. उक्त को मैं वैयक्तिक रूप से नहीं जानता इसलिए.....
..... मेरे साथ को गया उसने मुझे व्यक्ति दिखलाया
जिसके बारे में बताया गया कि उक्त वह है और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल
उस पर तारीख..... को लगभग..... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसकी एक
प्रति उनको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा की थी।
(क) यहां यह लिखिए कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने
से इन्कार कर दिया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

5. उक्त को और उस गृह को, जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है। मैं
वैयक्तिक रूप से जानता हूँ और मैं उक्त गृह गया था और वहां तारीख.....
को लगभग..... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह मैं मैंने उक्त को नहीं पाया।
(क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 15 और 17 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से
और यथावत लिखिए।

अथवा

6. एक व्यक्ति मेरे साथ तक गया और मुझे
वहां दिखलाया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह वही गृह है जिसमें
..... मामूली तौर पर निवास करता है, मैंने उक्त को वहां नहीं पाया।
(क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 1 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और
यथावत लिखिए।

अथवा

यदि प्रतिस्था पत्र तामिल के लिए दिया गया है तो जिस रीति से समन की तामिल की गई थी उसे प्रतिस्थापित तामिल के
लिए आदेश के निबन्धों के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

आज तारीख..... को उक्त..... ने समक्ष प्रति ज्ञान किया।

अभिशाक्षियों को शपथ दिलाने के लिए प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 139 के अधीन।

साक्षी को आह्वान (सम्मंस)

(व्यवहार (सिविल) प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16 के नियम 1 व 5 देखें)

न्यायालय

श्री रा.उ. न्या. से/रा. न्या. से द्वारा अध्यासित (प्रिजाइडेड)

वादी/याची/प्रार्थी प्रतिवादी/अयाची/अप्रार्थी/प्रतिपक्षी

विरुद्ध

प्रकरण संख्या

प्रकरण विषय

प्रेषित,

श्री आ./ध.प.श्री जाति

पता

अतः उपर्युक्त प्रकरण में की ओर से

..... ★ के लिए आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। अतः एतद् द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक को पूर्वाह्न बजे इस न्यायालय

आए या इस न्यायालय में भेजे।

आपकी यात्रा तथा अन्य व्यय एवम् एक दिवस के निर्वाह भत्ते के रूप में रुपये की राशि इसके साथ भेजी जा रही है। यदि आप इस आदेश का पालन करने में, बिना किसी विधिसंगत प्रतिहेतु (एक्सयूज) के असफल रहेंगे तो आपकी अनुपस्थिति के वे परिणाम भोगने होंगे जो व्यवहार (सिविल) प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16 के नियम 12 में निर्धारित (लेड डाउन) है।

यह आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ दिया गया।

न्यायालय की
मुद्रा

पक्षकार/अधिवक्ता
के लघु हस्ताक्षर

न्यायाधीश
की पद-मुद्रा

★ यहाँ स्पष्ट करें कि साक्षी को साक्ष्य हेतु अथवा केवल लेख्य प्रस्तुत करने हेतु आहूत किया गया है :

- सूचनाएँ:-
1. यदि आप कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए हो, न कि साक्ष्य देने हेतु आहूत (सम्मण्ड) किये गये हैं तो यदि आप उक्त लेख्य पूर्व लिखित दिनांक व समय पर न्यायालय में प्रस्तुत करवा देते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपने उक्त आह्वान का पालन कर लिया है।
 2. यदि आप पूर्वलिखित दिवस के आगे भी विरुद्ध (डिटेण्ड) किये जाते हैं तो आपको उल्लिखित दिवस के आगे प्रत्येक दिवस की उपस्थिति के लिए राशि रु निवेदन (टेण्डर) किये जाएंगे।

आदेशिका तामिलकर्ता का शपथ पत्र

(आदेश 5 का नियम 18)

के पुत्र

का शपथ पत्र

मैं

शपथ लेता हूँ कि प्रतिज्ञात करता हूँ और

यह कथन करता हूँ कि

1. मैं इस न्यायालय का एक आदेशिका तामिलकर्ता हूँ।
2. के न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय के
के संख्याक वाले वाद में निकाला गया/निकाली गई तारीख.....
का समन/की सूचना पर तामिल के लिए मुझे तारीख.....को प्राप्त हुआ/हुई थी।
3. उक्त को मैं उस समय वैयक्तिक रूप से जानता था और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल
उस पर तारीख.....को लगभग.....बजे.....
पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उनके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके की थी
(क) यहां यह लिखिये कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से
इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

4. उक्त को मैं वैयक्तिक रूप से नहीं जानता इसलिए
मेरे साथ को गया उसने मुझे व्यक्ति दिखलाया
जिसके बारे में बताया गया कि उक्त वह है और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल
उस पर तारीख को लगभग बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसकी एक
प्रति उनको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा की थी।
(क) यहां यह लिखिए कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने
से इन्कार कर दिया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

5. उक्त को और उस गृह को, जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है। मैं
वैयक्तिक रूप से जानता हूँ और मैं उक्त गृह गया था और वहां तारीख.....
को लगभग.....बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह मैं मैंने उक्त को नहीं पाया।
(क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 15 और 17 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से
और यथावत लिखिए।

अथवा

6. एक व्यक्ति मेरे साथ तक गया और मुझे
वहां दिखलाया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह वही गृह है जिसमें
मामूली तौर पर निवास करता है, मैंने उक्त को वहां नहीं पाया।
(क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 1 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और
यथावत लिखिए।

अथवा

यदि प्रतिस्था पत्र तामिल के लिए दिया गया है तो जिस रीति से समन की तामिल की गई थी उसे प्रतिस्थापित तामिल के
लिए आदेश के निबन्धों के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

आज तारीख.....को उक्त.....ने समक्ष प्रति ज्ञान किया।

अभिशाक्षियों को शपथ दिलाने के लिए प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 139 के अधीन।